संख्या 507/ब्यूरो-75-42-75

प्रेषक,

श्री भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 1975

विषय :- सार्वजनिक उद्योगों/निगमों तथा कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचरियों को पब्लिक सर्वेन्ट समझा जाना ।

महोदय,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश है कि अभी हाल में एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे पता चलता है कि जिले के अधिकारियों को इस विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं हैं कि सार्वजनिक उद्योगों/निगमों तथा कम्पनियों के अधिकारी/कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के निमित्त 'पब्लिक सर्वेन्ट' समझे जाने चाहिये अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के खण्ड 12 (बी) के प्राविधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी 'पब्लिक सर्वेन्ट' माने जायेंगे --

"Every person in the service or pay of a local authority, a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act or a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956."

2- उपर्युक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्योगों/निगमों तथा कम्पनियों के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के निमित्त 'पब्लिक सर्वेन्ट' माने जायेंगे और इस कारण उन्हें सभी प्रकार की वह सुरक्षा व अधिकार एवं सहायता प्राप्त होंगी जो 'पब्लिक सर्वेन्ट्स' को प्रदान की जानी चाहिये व उनका भारतीय दण्ड संहिता के अधीन उत्तरदायित्व भी वही होगा जो अन्य 'पब्लिक सर्वेन्ट्स' का होता है । अतएव,

आपसे निवेदन है कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक आदेश दे दें कि तद्नुसार व्यवस्था करें।

3- आपकी सुविधा के लिये सार्वजनिक उद्योगों/निगमों तथा कम्पनियों (राज्य सरकार की अण्डरटेकिंग्स) की सूची संलग्न है।

संलग्नक-उपर्युक्त।

आपका विश्वासपात्र,
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।

सं0 507 (1)/ब्यूरो-75, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।